राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.12(9)गृह–1/2011–पार्ट जयपुर, दिनांक 29.07.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला डूंगरपुर हेतु **जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति** का निम्नानुसार गठन किया जाता हैः–

1–	श्री विजय कुमार जैन पुत्र श्री कनक मल जैन निवासी–सेठो की कोल, सांगवाडा, जिला डूंगरपुर।	अध्यक्ष
2–	श्री सुरेश फलोसिया, निवासी–फलोज, जिला डूंगरपुर।	सदस्य
3–	श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री योगेश चन्द्र दोषी आदर्श नगर, जिला डूंगरपुर।	सदस्य
4–	श्री मणि लाल पुत्र श्री धन्ना जी अहारी सोलेडा, थाना–कुआं, जिला डूंगरपुर।	सदस्य
5–	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला–डूंगरपुर।	सदस्य सचिव

उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत इस समिति की पदावधि दो वर्ष की होगी।

आज्ञा से,

ED

(पवन कुमार जैन)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2– विशिष्ठ सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3– वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5– महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6– जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर।
7– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।

29/7/2016

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

Police Act